

## **प्रेस नोट दिनांक 04.06.2025 जनपद प्रतापगढ़**

### **थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़**

- बीट आरक्षी के सर्तकता से 01 अंतर्जनपदीय गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार
- थाना आसपुर देवसरा के आरक्षी शिवम सिंह ने 01 अंतर्जनपदीय गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकजा
- आरक्षी शिवम सिंह ने साये की तरह विछाए रखी अपनी पैनी नजर
- एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना आसपुर देवसरा के आरक्षी शिवम सिंह को प्रशस्ति- पत्र, नगद पुरस्कार तथा चरित्र पंजीका में उत्तम प्रविष्टि हेतु दिये गये निर्देश
- गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त पर संगठित तरीके से साजिश कर मार-पीट व गैर इरादतन हत्या, छेड़खानी व गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराध में संलिप्त हैं
- आरक्षी शिवम सिंह के सहयोग से थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी

**जनपद में अपराध नियंत्रण/संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।**

इसी क्रम में थाना आसपुर देवसरा के बहादुर आरक्षी शिवम सिंह के सहयोग से दिनांक 04.06.2025 को थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 150/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना आसपुर देवसरा में 01 वांछित अभियुक्त ;गैंग सदस्यद्ध आनन्द मिश्रा पुत्र तीर्थराज मिश्रा उर्फ बनारसी निवासी ग्राम सौराई थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 26 वर्ष को थाना आसपुर देवसरा अंतर्गत वाराणसी हाइवे पर नगर चौकी के पास से गिरफ्तार किया गया।

### **गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. आनन्द मिश्रा पुत्र तीर्थराज मिश्रा उर्फ बनारसी निवासी ग्राम सौराई थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 26 वर्ष (गैंग सदस्य)

### **आपराधिक इतिहास-**

**(गैंग सदस्य) आनन्द मिश्रा पुत्र तीर्थराज मिश्रा उर्फ बनारसी निवासी ग्राम सौराई थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास ।**

1. मु0अ0सं0 288/23 धारा 323, 504, 506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

2. मु0अ0सं0 291/23 धारा 304, 323 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

3. मु0अ0सं0 381/22 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0 412/22 धारा 354ख, 420, 468, 496, 506 भादवि थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर
5. मु0अ0सं0 145/23 धारा 323, 352, 427, 504, 506 भादवि थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर
6. मु0अ0सं0 150/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

### **थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़**

—पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एकशन

—हत्या का प्रयास, मारपीट के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

—थाना दिलीपपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के बशीरपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

#### **घटना का संक्षिप्त का विवरण-**

थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रतनमई में वादी के लड़के के साथ आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर मारपीट, हत्या के प्रयास के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 96/25 धारा 190/191(2)/191(3)/115(2)/109(1) बीएनएस बनाम 08 नामजद व 03 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डाँ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण व थाना दिलीपपुर प्रभारी श्री शत्रुघन वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 कौशलपति मय हमराह हे0का0 सुभाष विश्वकर्मा, का0 स्वामीनाथ द्वारा को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना दिलीपपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 96/25 धारा 190/191(2)/191(3)/115(2)/109(1) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्त 01.अरसद हुसैम उर्फ बबलू पुत्र गुलहसन निवासी ग्राम गोपालपुर (इब्राहिमपुर) थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ 02.जिशान अहमद पुत्र साहेब अली निवासी ग्राम गोपालपुर मुफरिद थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के बशीरपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

01.अरसद हुसैम उर्फ बबलू पुत्र गुलहसन निवासी ग्राम गोपालपुर (इब्राहिमपुर) थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

02.जिशान अहमद पुत्र साहेब अली निवासी ग्राम गोपालपुर मुफरिद थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

#### **गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

उ0नि0 कौशलपति मय हमराह हे0का0 सुभाष विश्वकर्मा, का0 स्वामीनाथ थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

### **थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़**

- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन
- हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
- थाना कन्धई पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को ग्राम ताला उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

#### **घटना का संक्षिप्त का विवरण-**

थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ताला में वादिनी के पति के साथ आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर मारपीट, गाली गलौज, धमकी व हत्या के प्रयास के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कन्धई में मु0अ0सं0 77/25 धारा 191(2)/115(2)/351(2)व(3)/324(4)व(5)/333/110/109 बीएनएस बनाम 08 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डाँ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण व थाना कन्धई प्रभारी निरीक्षक श्री गुलाब चन्द्र सोनकर के नेतृत्व में उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह हे0का0 ऋषिकेश तिवारी द्वारा को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कन्धई में पंजीकृत मु0अ0सं0 77/25 धारा 191(2)/115(2) /351(2)व(3)/324(4)व(5)/333/110/109 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त अब्दुल हकीम उर्फ मिठाईलाल पुत्र आबिद अली नि0 ताला थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के ग्राम ताला उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01- अब्दुल हकीम उर्फ मिठाईलाल पुत्र आबिद अली नि0 ताला थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

#### **गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह हे0 का0 ऋषिकेश तिवारी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

### **थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़**

- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डाँ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,
- हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

—थाना जेठवारा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त थाना क्षेत्रान्तर्गत आर0के0 मेमोरियल पब्लिक स्कूल कसहर के सामने कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया ।

#### **घटना का संक्षिप्त का विवरण-**

दिनांक 01.06.2025 को वादी की अनुपस्थिति में आरोपीगणों द्वारा जमीनी रंजिश के चलते एकराय होकर लाठी-डण्डा, धारदार हथियार से वादी के घर में घुस कर वादी के परिजनों को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से बुरी तरह मार-पीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 125/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/333/109/110 बीएनएस बनाम 05 नामजद व 3-4 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमति करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री अमित कुमार वर्मा मय हमराह का0 जयप्रकाश यादव व का0 सुनील सरोज द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना जेठवारा में पंजीकृत मु0अ0सं0 125/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/333/109/110 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त जितेन्द्र श्रीवास्तव उर्फ बबबू श्रीवास्तव पुत्र हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव नि0 10 बाबागंज थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 47 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत आर0के0 मेमोरियल पब्लिक स्कूल कसहर के सामने कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया ।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01- जितेन्द्र श्रीवास्तव उर्फ बबबू श्रीवास्तव पुत्र हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव नि0 10 बाबागंज थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 47 वर्ष ।

#### **पूछताछ विवरण:-**

पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि मैं दिनांक 01.06.2025 को अपने दीदी के घर आया था । तालुकदार श्रीवास्तव के घर के जमीनी रंजिश है । जिसके कारण मारपीट हुई थी मारपीट में मैंने भी डण्डे से मारपीट किया था ।

#### **गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

उ0नि0 श्री अमित कुमार वर्मा मय हमराह का0 जयप्रकाश यादव व का0 सुनील सरोज थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

## **थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़**

—प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

—थाना कन्धई पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पाँक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

—थाना कन्धई पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के कीरतपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण व थाना कन्धई प्रभारी निरीक्षक श्री गुलाब चन्द्र सोनकर के नेतृत्व में उ०नि० रज्जन राव मय हमराह हे०का० ऋषिकेश तिवारी द्वारा को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कन्धई में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 65 (1) / 352 BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र रामकिशोर निवासी ईशनपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कन्धई के कीरतपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01. राहुल पुत्र रामकिशोर निवासी ईशनपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

### **पुलिस टीम का विवरण-**

उ०नि० रज्जन राव मय हमराह हे० का० ऋषिकेश तिवारी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

## **थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।**

### **थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्ता गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ०नि० दीपक कुमार यादव मय हमराह कां० नीरज कुमार, कां० विवेके सिंह, म०का० उर्मिला देवी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु०नं० 1371/2013 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व डीपी एक्ट थाना लालगंज प्रतापगढ़ से संबंधित वारंटी 01 अभियुक्ता को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-**

01 अभियुक्ता।

### **पुलिस टीम-**

उ०नि० दीपक कुमार यादव मय हमराह कां० नीरज कुमार, कां० विवेके सिंह, म०का० उर्मिला देवी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

## थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

—प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

—थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

—थाना कुण्डा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के विदासिन नहर पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में उ०नि० रविशंकर तिवारी मय हमराह का० विनोद कुमार, का० अतुल कुमार द्वारा दिनांक 04.06.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कुण्डा में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 1/2 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र श्री राम सरोज निवासी ग्राम पूरे चेती सिंह मजरे लरू थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कुण्डा के विदासिन नहर पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01.विनोद कुमार पुत्र श्री राम सरोज निवासी ग्राम पूरे चेती सिंह मजरे लरू थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

### **पुलिस टीम का विवरण-**

उ०नि० रविशंकर तिवारी मय हमराह का० विनोद कुमार, का० अतुल कुमार थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

## थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

—प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

—थाना बाघराय पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

—थाना बाघराय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के गंगा एक्सप्रेसवे के पास पूरे शिवभीख ग्राम रोड से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बाघराय प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में निरीक्षक दौलत यादव मय हमराह उ०नि० तेज बहादुर यादव, हे०का० सुभाष यादव, का० कृष्णकान्त राय द्वारा देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना बाघराय में पंजीकृत

अभियोग अन्तर्गत धारा 65 (2)/76/351(3) बीएनएस व 5एमएन/6 व 9यू / 10 पास्को एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त आरिफ पुत्र मो0 हनीफ निवासी ग्राम रोर, थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र बाघराय के गंगा एक्सप्रेसवे के पास पूरे शिवभीख ग्राम रोर से गिरफ्तार किया गया ।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01- आरिफ पुत्र मो0 हनीफ निवासी ग्राम रोर, थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

#### **पुलिस टीम का विवरण-**

निरीक्षक दौलत यादव मय हमराह उ0नि0 तेज बहादुर यादव, हे0का0 सुभाष यादव, का0 कृष्णकान्त राय थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

#### **थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़**

- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा॰० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,
- हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
- थाना हथिगवां पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को बरना कल्यानगढ़ भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अदद चाकू बरामद की गई।

#### **घटना का संक्षिप्त का विवरण-**

थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बरना कल्यानगढ़ में आरोपीगणों द्वारा वादी को के साथ गाली-गलौज, धमकी व चाकू से जानलेवा हमला करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हथिगवां में मु0अ0सं0 95/ 25 धारा 115(2)/352/351(3)/109 बी0एन0एस0 बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी हथिगवां श्री नन्दलाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह उ0नि0 श्री रमेश कुमार तिवारी, का0 चन्द्रपाल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना हथिगवां में पंजीकृत मु0अ0सं0 95 / 25 धारा 115(2)/352/351(3)/109 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त, राजू उर्फ आनन्द पटेल पुत्र राजकुमार पटेल निवासी छिटेमऊ पुरवा थाना मऊआइमा प्रयागराज को थानाक्षेत्र अन्तर्गत बरना कल्यानगढ़ भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01- राजू उर्फ आनन्द पटेल पुत्र राजकुमार पटेल निवासी छिटेमऊ पुरवा थाना मऊआइमा प्रयागराज ।

### **पूछताछ विवरण:-**

पूछताछ पर अभियुक्त बताया कि दिनांक 28.05.2025 को अपनी ससुराल ग्राम कल्यानगढ़ बरना में साली की सगाई में शामिल होने गया था। दिनांक 30.05.2025 को उदय सिंह पटेल के बुलाने पर उसके घर गया, जहां गाली-गलौज होने पर विरोध किया तो मारपीट हो गई, बचाव हेतु मैंने किचन से चाकू लेकर उदय सिंह पटेल पर हमला कर दिया और वहां से भाग गया। भागते समय चाकू को भट्टे के आगे पुलिया के पास झाड़ियों में फेंक दिया। अभियुक्त की निशानदेही पर चाकू को बरामद किया गया है।

### **बरामदगी:-**

01 अदद चाकू बरामद।

### **गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह उ0नि0 श्री रमेश कुमार तिवारी, का0 चन्द्रपाल सिंह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

### **थाना-लीलापुर, जनपद- प्रतापगढ़**

—पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी-

— लूट के अभियोग से संबंधित लूट के 01 मोबाइल व 700/-रूपये बरामद व लूट की घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 मोटर साइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

—थाना लीलापुर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में 02 अभियुक्तों को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत बाबगंज रोड़ रघुवापुर थाना लीलापुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

—थाना लीलापुर पुलिस टीम से हुई मुठभेड़ में 02 अभियुक्तों को लूट के 01 मोबाइल व 700/-रूपये बरामद व लूट की घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

### **घटना का विवरण-**

दिनांक- 02/06/2025 को वादी अपनी मोटर साइकिल से अपने पुत्र के साथ गहिरी निमंत्रण में जा रहा था। आरोपीगणों द्वारा वादी व वादी के पुत्र को मत्तूपुर बोझी सई नदी पुल के पास मारने पीटने लगे मोबाइल व रुपये छीन कर फरार हो गये थे। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 119/2025 धारा 309 (6) बीएनएस बनाम 04 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 03.06.2025 को ASP(W) श्री संजय राय व CO लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में थाना लीलापुर थानाध्यक्ष अरूण कुमार सिंह मय हमराह द्वारा रात्रि गश्त व चेकिंग के दौरान थाना लीलापुर के मु०अ०सं० 119/2025 धारा 309 (6) / 317 (2) BNS व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों 1. अब्दुल रब पुत्र मो० अली उर्फ हजरत अली निवासी ग्राम तिलौरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 24 वर्ष, 2. साहिद खान उर्फ बब्लू पुत्र मो० सलीम उर्फ नन्हे निवासी ग्राम तिलौरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष को लूट के 01 मोबाइल व 700/-रूपये बरामद व लूट की घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 मोटर साइकिल के साथ थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत बाबगंज रोड़ रघुवापुर थाना लीलापुर के पास से गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान फायरिंग में अब्दुल रब के दाहिने पैर में गोली लगी है। फायरिंग के दौरान घायल अभियुक्त अब्दुल रब उपरोक्त का दवा, इलाज सीएचसी लालगंज में चल रहा है। घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल को सीज किया गया।

### **पूछताछ विवरण-**

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों में दिनांक 02.06.2025 को इसी अपाचे से थे एवं हमारे अन्य 02 साथी मोटरसाइकिल से मत्तूपुर बोझी पुलिया पर थे। हम लोगो का एक साथी अन्य साथी गहरी बासूपुर मोड बाग के पास खडे होकर रेकी करते हुए पुलिस के आने जाने के सम्बन्ध में सूचना दे रहा था। अपने साथी की सूचना के मुताबिक जब काफी देर तक पुलिस इधर नहीं आयी तो मौका देखकर रसूली बाजार से गहरी सगरा की तरफ जाते हुए व्यक्तियों को रोक लिये तथा कट्टे की बट से मारकर मोबाइल व उसके पास में मिले एक हजार रुपये लूट लिये थे। साहब गलती हो गयी माफ कर दीजिये।

### **बरामदगी-**

लूट के 01 मोबाइल व 700/-रूपये बरामद व लूट की घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 मोटर साइकिल बरामद।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

- 1- अब्दुल रब पुत्र मो० अली उर्फ हजरत अली निवासी ग्राम तिलौरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 24 वर्ष।
- 2- साहिद खान उर्फ बब्लू पुत्र मो० सलीम उर्फ नन्हे निवासी ग्राम तिलौरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-**

- 1- अब्दुल रब पुत्र मो० अली उर्फ हजरत अली निवासी ग्राम तिलौरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 24 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 247/20 धारा 120बी /363/366/376डी/504/506 भादवि व 16/17 व ¾ पाक्सो एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0स0 436/22 धारा 506 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
3. मु0अ0स0 492/19 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
4. मु0अ0स0 12/25 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 119/2025 धारा 309 (6) / 317 (2) BNS व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

**2-साहिद खान उर्फ बब्लू पुत्र मो0 सलीम उर्फ नन्हे निवासी ग्राम तिलौरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0स0 12/25 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 119/2025 धारा 309 (6) / 317 (2) BNS व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

थानाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह मय हमराह का0 प्रेमवीर सिंह, का0 मोरध्वज, का0 गौरव यादव, का0 राहुल सिंह, उ0नि0 सौरभ यादव, हे0का0 नागेन्द्र प्रसाद, का0 सुरजीत थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।